

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
(आई०डी०एस० वर्ग)

पत्रांक : - 317/01 रोडसेफ्टी/14
सेवा में,


दिनांक: 24/8/15

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्र,
लो०नि०वि०,

विषय:- मार्गों पर स्थित पेट्रोल पम्पों के निकट दुर्घटनायें रोकने हेतु सड़क सुरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में आयुक्त परिवहन/ सड़क सुरक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष दुर्घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण पर पाया गया कि प्रदेश में गत वर्ष 624 दुर्घटनायें पेट्रोल पम्प के निकट हुई हैं । इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए पेट्रोल पम्प के निकट सुरक्षात्मक उपायों को कड़ाई से लागू किये जाने की अपेक्षा की गई है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग व अन्य जिला मार्गों पर स्थापित पेट्रोल पम्प पर IRC: 12-2009 (Guidelines for Access, Location and Layout of Roadside Fuel Station and Service Stations) के प्राविधानों के अनुसार रोड मार्किंग एवं साइनेज आदि सुरक्षात्मक कार्य सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये ।


24/8/15
(ए०के० गुप्ता)

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष

ए/ए